राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2595/2024

राम खिलाडी बैरवा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने निलंबन आदेश दिनांक 18.08.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को नियम–13, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के प्रावधान के तहत निलंबित किया गया है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलार्थी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग भरतपुर के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2024 को होनी है। पूर्व में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.06.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था, जिस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2145/2024 प्रस्तुत की थी। उक्त अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 01.07.2024 पारित किया गया एवं आदेश दिनांक 27.06.2024 की क्रियान्विति स्थगित रखी थी। उक्त अंतरिम आदेश की पालना में अपीलार्थी वर्तमान पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थी संयुक्त निदेशक, स्कूल

शिक्षा, संभाग भरतपुर के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के कुछ दिन पूर्व ही दिनांक 18.08.2024 को दो आदेश पारित किए गए, जिसमें प्रथम आदेश अनुलग्नक–1 अपीलार्थी को निलंबित किए जाने का है एवं दूसरा आदेश अनुलग्नक–2 अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के तहत अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही में दिए गए ज्ञापन व आरोप पत्र है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरुद्ध बेबुनियाद आधारों पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप संख्या–1 साजिदा बानो, अध्यापिका (लेवल–1) रा.प्रा.वि., गोविन्दपुरा, जिला गंगापुरसिटी को आदर्श आचार संहिता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी की बिना अनुमति के निलम्बित कर कार्मिक को अनुचित लाभ पहुंचाने की मंशा से जिला एवं सैट–अप बदलकर राउमावि, कुतलपुरा, जाटान सवाईमाधोपुर में अध्यापक लेवल–2 उर्दू के पद पर पदस्थापित करने का आरोप है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त साजिदा बानो सेवा में लगातार अनुपस्थिति रही थी, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, जो प्रशासनिक दृष्टि से की गई थी। अपीलार्थी के विरुद्ध दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि अपीलार्थी ने नंदलाल बैरवा को गंभीर आरोप नहीं होने के बावजूद भी उन्हें चार्जशीट जारी करने से एक माह पूर्व ही जिला तथा सेटअप बदलकर प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा में जांच विचाराधीन पदस्थापित किया और नंदलाल बैरवा को अनुचित लाभ पहुंचाया। इस आरोप के संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि नंदलाल बेरवा के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात कार्यवाही की गई है। ऐसे में प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किए गए, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी के विरुद्ध तीसरा आरोप यह लगाया गया है कि अपीलार्थी ने अपने अधीनस्थ श्री मुखराज मीणा एवं श्रीमती पार्वती तथा महेश सिंह को अंतर जिला पदस्थापन कराने तथा बिना जांच एवं दोष के एपीओ करने व शिक्षकों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त कार्मिकों को एपीओ मंत्री महोदय की अनुशंसा पर किया गया। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि झूठे आधारों पर आरोप पत्र जारी किया गया है, ताकि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के कुछ समय पूर्व ही निलंबित किया जा सके। अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्वक व राजनीतिक द्वेषता के कारण चार्जशीट जारी कर निलम्बित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को निलंबित किया जाए। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व निलंबित किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निलंबन आदेश अपास्त किया जाए।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी के विरुद्ध गंभीर प्रकृति की शिकायतों में अपीलार्थी को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने की स्थिति में नियम 16 सीसीए नियमों के तहत विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह भी तर्क है कि सीसीए नियमों के नियम–22 में अपीलार्थी के पास वैकल्पिक उपचार मौजूद हैं। ऐसे में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि कार्मिक के कर्तव्यों के निर्वाह में लापरवाही के आरोप है, जो गंभीर प्रकृति के हैं। इसके संबंध में अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया जा चुका है। आरोप की गंभीरता को देखते हुए अपीलार्थी को निलंबित किया गया है।
5. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।
6. यूनियन यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अशोक कुमार अग्रवाल (2013)16 एससीसी 147 के निर्णयानुसार न्यायालय द्वारा निलम्बन आदेश में हस्तक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार मत व्यक्त किया है :–

"In the case of Union of India versus Ashok Kumar Aggarwal *(2013) 16 SCC 147*) Hon'ble Supreme Court has held as under:

"*23. The scope of interference by the Court with the order of suspension has been examined by the Court in a large number of cases, particularly in State of M.P. v. Sardul Singh, (1970) 1 SCC 108; P.V. Srinivasa Sastry v. Comptroller & Auditor General of India, (1993) 1 SCC 419; Director General, ESI & Anr. v. T. Abdul Razak, AIR 1996 SC 2292; Kusheshwar Dubey v. M/s Bharat Cooking Coal Ltd. & Ors., AIR 1988 SC 2118; Delhi Cloth General Mills vs. Kushan Bhan, AIR 1960 SC 806; U.P. Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad & Ors. v. Sanjeev Rajan, (1993) Supp. (3) SCC 483; State of Rajasthan v. B.K. Meena & Ors., (1996) 6 SCC 417; Secretary to*

Govt., Prohibition and Excise Department v. L. Srinivasan, (1996) 3 SCC 157; and Allahabad Bank & Anr. v. Deepak Kumar Bhola, (1997) 4 SCC 1, wherein it has been observed that even if a criminal trial or enquiry takes a long time, it is ordinarily not open to the court to interfere in case of suspension as it is in the exclusive domain of the competent authority who can always review its order of suspension being an inherent power conferred upon them by the provisions of Article 21 of the General Clauses Act, 1897 and while exercising such a power, the authority can consider the case of an employee for revoking the suspension order, if satisfied that the criminal case pending would be concluded after an unusual delay for no fault of the employee concerned. Where the charges are baseless, mala fide or vindictive and are framed only to keep the delinquent employee out of job, a case for judicial review is made out. But in a case where no conclusion can be arrived at without examining the entire record in question and in order that the disciplinary proceedings may continue unhindered the court may not interfere. In case the court comes to the conclusion that the authority is not proceeding expeditiously as it ought to have been and it results in prolongation of sufferings for the delinquent employee, the court may issue directions. The court may, in case the authority fails to furnish proper explanation for delay in conclusion of the enquiry, direct to complete the enquiry within a stipulated period. However, mere delay in conclusion of enquiry or trial can not be a ground for quashing the suspension order, if the charges are grave in nature. But, whether the employee should or should not continue in his office during the period of enquiry is a matter to be assessed by the disciplinary authority concerned and ordinarily the court should not interfere with the orders of suspension unless they are passed in mala fide and without there being even a prima facie evidence on record connecting the employee with the misconduct in question.

24. Suspension is a device to keep the delinquent out of the mischief range. The purpose is to complete the proceedings unhindered. Suspension is an interim measure in aid of disciplinary proceedings so that the delinquent may not gain custody or control of papers or take any advantage of his position. More so, at this stage, it is not desirable that the court may find out as which version is true when there are claims and counter claims on factual issues. The court cannot act as if it an appellate forum de hors the powers of judicial review."

In the present case we do not find that charge against the appellant to be baseless, mala fide or vindictive so as to exercise the power of judicial review."

7. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति का आरोप नहीं है, जिसके कारण अपीलार्थी को निलंबित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पर द्वेषतापूर्वक आरोप लगाए गए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। हमारे मत में अपीलार्थी के संबंध में जो आरोप पत्र जारी किया गया है, उसमें अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों का शिक्षक लेवल–1 से शिक्षक लेवल–2 में परिवर्तन करने, अन्य कार्मिक का

सेटअप बदलकर प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा में करना व नियम विरुद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोप है। इन आरोपों को प्रथम दृष्टया बेबुनियाद होना नहीं माना जा सकता। आरोपों की सत्यता पर इस अधिकरण द्वारा विचार किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि यह अनुशासनात्मक कार्यवाही की विषय वस्तु है। केवल मात्र यह देखा जाना है कि क्या प्रथम दृष्टया ऐसा मामला अपीलार्थी के विरुद्ध विद्यमान है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को निलंबित किया जाना उचित माना जाए। प्रथम दृष्टया जो मामला अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र से प्रकट होता है, वह पद का दुरुपयोग करने के संबंध में है। ऐसे में प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के संबंध में जो मामला उपस्थित हुआ है, उसकी प्रकृति को देखते हुए अधिकरण द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

8. प्रस्तुत मामले में हम यह नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई ऐसा मामला हो, जो आधारहीन हो एवं दुर्भावना पूर्वक रहा हो। ऐसे में अधिकरण इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि नियम–22 सीसीए नियम के तहत अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलार्थी अपने निलंबन के आदेश को नियम–22 के तहत चुनौती दे सकता है।

9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम निलंबन आदेश के संबंध में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरुप यह अपील खारिज की जाती है

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)